न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–102/2023

हजरत मियाँ..वादी

बनाम

कमरूल मियाँ एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
09.11.2023	वादी की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 07.10.2023 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। जो आज दिनांक 09.11.2023 को आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादपत्र की मद न0–01 की भूमि पर अपने स्वत्व एवं दखल कब्जें को घोषित कराने एवं अन्य अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद प्रारंभिक अवस्था में है। प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु नियत है। वादपत्र को देखने से स्पष्ट हुआ है कि वादपत्र में कुछ जगह टाईपिस्ट की गलती से अशुद्धि हो गयी है। जिसको सुधार करना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति एवं स्वरूप में कोई प्रभाव नही पडने वाला है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि संशोधन आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अभी कोई भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुआ है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है लेकिन वादी द्वारा अगर वादपत्र	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–102/2023

हजरत मियाँ...वादी

बनाम

कमरूल मियाँ एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 09.11.2023	दाखिल करते समय सतर्कता बरती जाती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 23.11.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	